



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28122023-250938
CG-DL-E-28122023-250938

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5250]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 28, 2023/पौष 7, 1945

No. 5250]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 28, 2023/PAUSHA 7, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2023

सं. 56/2023-केन्द्रीय कर

का.आ. 5483(अ).—सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 235(अ), तारीख 3 अप्रैल, 2020 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 35/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 3 अप्रैल, 2020 और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 310(अ), तारीख 1 मई, 2021 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/2021-केन्द्रीय कर, तारीख 1 मई, 2021, तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 516(अ), तारीख 5 जुलाई, 2022 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 13/2022-केन्द्रीय कर, तारीख 5 जुलाई, 2022 तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में संख्यांक सा.का.नि. 1564(अ), तारीख 31 मार्च, 2023 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 09/2023-केन्द्रीय कर, तारीख 31 मार्च, 2023 के आंशिक संशोधन में, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे विनिर्दिष्ट अवधि से संबंधित, उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन, संदत्त न किए गए या कम

संदत्त किए गए या गलत प्राप्त या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की वसूली के लिए, आदेश जारी करने की, धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा का विस्तार करती है, अर्थात् :-

- (i) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, 30 अप्रैल, 2024 तक ;
- (ii) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, 31 अगस्त, 2024 तक ।

[फा. सं. सीबीआईसी-20013/7/2021-जीएसटी]

राघवेंद्र पाल सिंह, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2023

No. 56/2023- Central Tax

S.O. 5483(E).—In exercise of the powers conferred by section 168A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and section 21 of the Union territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and in partial modification of the notifications of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 35/2020-Central Tax, dated the 3rd April, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 235(E), dated the 3rd April, 2020 and No. 14/2021-Central Tax, dated the 1st May, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 310(E), dated the 1st May, 2021 and No. 13/2022-Central Tax, dated the 5th July, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 516(E), dated the 5th July, 2022, and No. 09/2023-Central Tax, dated the 31st March, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number G.S.R. 1564(E) dated the 31st March, 2023, the Government, on the recommendations of the Council, hereby, extends the time limit specified under sub-section (10) of section 73 for issuance of order under sub-section (9) of section 73 of the said Act, for recovery of tax not paid or short paid or of input tax credit wrongly availed or utilized, relating to the period as specified below, namely:—

- (i) for the financial year 2018-19, up to the 30th day of April, 2024;
- (ii) for the financial year 2019-20, up to the 31st day of August, 2024.

[F. No. CBIC-20013/7/2021-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director